संख्या-170/2023/3029/22-2-2022-17(986)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-इटावा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28030/प्रोबे0अनु0(2)-235/सला0समिति/(एम-04-08-2022)/2022, दिनांक 31.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, ग्राम-नसीरपुर बौजा, थाना-बकेवर जनपद-इटावा का निवासी है। बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री हरिचन्द्र के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी कारण दिनांक 08.05.2002 को वादी मोहर सिंह की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या कर शव नाले में डाल दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-763/2002 भा0द0वि0 की धारा-302, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश नं0-4, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.11.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.06.2022 तक 19 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 22.06.2022 तक 39 वर्ष 04 माह 14 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की समाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ जिला मजिस्ट्रेट, इटावा दवारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति का अभिमत है कि बन्दी ने मोहर सिंह के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी कारण दिनांक 08.05.2002 को वादी मोहर सिंह की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी होने, अपराधिक प्रवृत्ति का होने, शारीरिक रूप से अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 सपठित धारा-433 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह (बन्दी संख्या-9283) पुत्र श्री ओमप्रकाशए निवासी जनपद-इटावा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-170/2023/3029(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्रीए कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in